बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्याः—ल0सिं0मो0—अनियमितता—222/2020 1360 (मो0) /पटना,दिनांकः— 30-06-2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाइ अंचल, भागलपुर।

विषयः— **जल—जीवन— हरियाली अभियान के अन्तर्गत बाराहाट के पथरा ग्राम अवस्थित पपनीया पोखर एवं बड़का बांध के कार्य में अनियमितता के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका अन्तर्गत विषयान्तर्गत कार्य में संबंधित पथरा ग्राम वासी द्वारा अनियमितता की शिकायत की गयी है।

उक्त शिकायत पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि "अतिक्रमण एवं पोखर के गाद, आदि" के संबंध में वर्णित अनियमितता की जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय तथा प्राक्कलन में उल्लेखित मानकों के अनुरूप उक्त कार्य का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक— 1360 (मो0) /पटना, दिनांक— 30-06-2020

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक—1360 (मो0) /पटना, दिनांक— 30-06-2020

प्रतिलिपिः— बसंत कुमार मंडल, पथरा ग्रामवासी, जिला—बांका, मो0—8789406588 को सूचनार्थ प्रेषित।

30/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\ASHUTOSH-2020\JUNE\BHAGALPUR JJHA.DOC

2a

अ०नि०अभि० (अ०उ०)

सेवा में,

श्री मान् जिला पदाधिकारी महोदय, बाँका (बिहार)

लघु जल संसाधन ... बिहार, पटना
18 JUN 2020

विषय– जल जिवन हरियाली योजना के अर्न्तगत बाराहाट के पथरा ग्राम में अवस्थित पनपीया पोखर एवं बड़का बाँध के कार्य में घोर अनियमितता के सम्बन्ध में ।

महाशय

निवेदन है कि उपरोक्त योजना लघु सिंचाई प्रमण्डल बाँका के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है जिसका कोई सीमा नहीं है। पहले की हर पल की जानकारी आप को देते जा रहें हैं जिस की प्रति साथ संलग्न है ।

1– सीमांकण किया हुआ बाधित जमीन को अभी तक अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है ।

2– संवेदक द्वारा अभी तक जो कार्य हुआ है वह सौंदरीकरण के बजाय नरकीय करण कर छोड दिया गया है।जिसमें ग्राम वासी को कष्ट का सामना करना पडेगा।

3– पोखर और बाँध का जो गाद है उसको पोखर एवं बाँध के बीच में जमा कर छोड़ दिया गया है।

4–बाँध का तीन हिस्सा जमीन में कोई कार्य नहीं किया गया हैं और J. E.(आशिष रंजन) बोलते हैं कि हम लोगों का कार्य 15–06–2020 को समाप्त हो गया अब कुछ नहीं कर सकते है ।

5–हम लोगो का न तो खेत का पटवन हो सकेगा और न ही जल स्तर उठेगा जिससे हम लोगों का पानी की समस्या बना ही रहेगा।

अतः श्री मान से प्रर्थना है कि उपरोक्त विषय पर त्वरित संज्ञान लेने की कृपा किया जाय। जिससे करोड़ो कि राशि बंदर बाँट होने से बचाया जा सके ।इसके लिए हम ग्राम वासीयों सदा आपका अभारी बना रहुंगा।

प्रतिलिपिः–

1–महामहीम राजयपाल बिहार सरकार

2–मुख्यमंत्री बिहार सरकार

3–जलसंसाधन विभाग प्रधान सचिव बिहार सरकार

आपका विशवासी

पथरा ग्रामवासी

(1) बसन्त कुमार मंडल

(2) [illegible]

(3) Sonu Kumar

(4) संजित कुमार

(5) बजरंग कुमार

(6) कंचन ठाकुर

261/ACS 18/6/20

JE/ 18-06-2020

SE, ... कार्य हेतु

2844 (अ०प०) 19/6/20

Scanned with CamScanner

आपका विश्वासी पलरा ग्रामवासी

2.(8)

(7) कामेश्वर मंडल
(8) Chandan Kumar.
(9) Manish Kumar
(10) Raju Kumar
(11) [illegible]
वार्ड नं. 9
12 रघु पासवान
13. भुवन पासवान
14. चंदन पासवान
15. [illegible]
16. [illegible] कुमार
(17) Nirbal Kumar
(18) Rajnish anand.
(19) दिलीप कुमार मंडल
(20) परमेश्वर मंडल
(21) सीताराम यादव
(22) सत्यनारायण मंडल
Shashi Kumar
(23) Neeraj Kumar
(24) चन्द्रशेखर [illegible]
(25) उमेश मंडल
(26) [illegible]
(27) [illegible] कुमार
(28) [illegible]

(29) राजेश्वर मंडल
(30) घनश्याम मंडल
(31) Shiv Shanker mandal
(32) सुनील मंडल
33. मनीष कुमार
34. Bhavesh mandal
35. परमेश्वर मंडल
36 उदय कान्त मंडल
37 मनोज कुमार मंडल
38. अशोक मंडल
39 महेश्वर मंडल
40. मनोज यादव
41. प्रमोद मंडल
42. श्री प्रसाद मण्डल
43. गौतम कुमार
44. चन्देश्वर [illegible]
45. छोटे लाल यादव
46. सुधांशु शेखर
47. अमित मंडल
48. सोनू कुमार
49. [illegible] कुमार
50. Shubham Kumar
51. अमन कुमार
52 अंकुल कुमार
53 चन्द्रशेखर कुमार
(54) नरेश [illegible]
(55) रघुनंदन कुमार
(56) Pankaj kumar
(57) Sunil kr Mandal

Scanned with CamScanner

आपका विश्वासी पनरा ग्रामवासी

S. 17

60. प्रेम शंकर मंडल
61. आशीष कुमार
62. [illegible] मंडल
63. अनिल दूबे
64. प्रमोद दूबे
65. [illegible]
66. कौशल कुमार
67. उपेन्द्र मंडल
68. कुन्दन कुमार यादव
69. राम [illegible] यादव
70. बंशी लाल
71. अम्बिका प्रसाद मंडल
72. गुलाबी - मंडल
73. [illegible]
74. [illegible] मंडल
75. सुभाष कुमार मंडल
76. संतोष कुमार
77. [illegible]
78. विजय कु० दास
79. [illegible]
80. दिलीप यादव
81. अक्षय कुमार

82. संजीव कुमार
83. देवेन्द्र दास
84. राकेश कुमार
85. Satyam kumar pandey
86. [illegible]
81. भोला मंडल
82. Prahlad Kumar
83. Minishwar Mandal
84. परमेश्वर मंडल
85. दिनेश [illegible]
86. सिकन्दर कुमार
87. मदन कुमार मंडल
88. नरायन मंडल
89. अभय मंडल
90. Ramkumar Mandal
91. अभिषेक मंडल
92. प्रीतम कुमार
93. डोमी दास
94. राम कुमार साह
95. निरज कुमार
96. Alok Anand
97. अभिनंदन कुमार
98. अमर कुमार

Scanned with CamScanner

सेवा में
श्रीमान् आयुक्त पदाधिकारी महोदय बाराहाट बांका

विषय - पनबिया बांध (वड़का) पपरा के भूमि खाता - 315 खेसरा 1526 रकबा 14 एकड़ 50 धुर डी० (मै० क्लोज़र) जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में श्रीमान् के सादर अनुरोध के साथ कहना है कि ग्राम पपरा, मौजा पपरा, थाना नं० 120, खाता 315 खेसरा 1526 रकबा 14.50 डी० किस्म बिहार सरकार के अन्तर्गत पनबिया बाँध (वड़का बांध) पपरा का स्थानीय जाँच ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थल किया। पाया कि उक्त बाँध जल-जीवन हरियाली के तहत मुक्त कराने श्रीमान् के द्वारा NOC दिया गया है। बांध के सीमांकन के अनुसार किसी रैयत की भूमि नहीं है। वर्तमान उक्त बाँध की खुदाई का काम चल रहा है। बांध के पुनः सीमांकन के अनुसार कुछ भूमि का अंश लगभग 100 डी० एक एकड़ सिद्ध होने से वर्तमान वरन बैठा पिता दरोगी बैठा के वंशज द्वारा कार्य रोका जाता है इनके द्वारा सरकारी रसीद दिखाया गया जो पंजी II के अवलोकन से जमाबन्दी 436 रैयत वरन बैठा पिता दरोगी बैठा जिस रसीद एवं जमाबन्दी में खाता खेसरा दर्ज नहीं पाया गया रकबा एक एकड़ दर्ज है। साथ ही प्राधिकार में जमाबन्दी निर्माण का जिक्र नहीं है, जमाबन्दी 436 ऑनलाइन नहीं किया गया है।
उक्त जमाबन्दी की रैयत के वंशज द्वारा उक्त बांध की भूमि पर दावा कार्य रोकना नाजायज एवं आपत्ति जनक है पंजी II के अवलोकन से पता चलता है कि जमाबन्दी नम्बर - 436 का निर्माण आपत्तिजनक एवं संदेहास्पद है।

अतः श्रीमान् के द्वारा
उचित आदेश किया
समर्पित

ह० [illegible] 2020
राजस्व कर्मचारी
हल्का 3

अनु-1 (8) 15

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, बांका

विषय: जल जीवन हरियाली योजना के अन्तर्गत बाराहाट के पथरा ग्राम अवस्थित पनपीया पोखर के जीर्णोद्धार के कार्य में अनियमितता के संबंध में।

प्रसंग: एकरारनामा संख्या 20F2/2019-20

दिनांक: जून 2020

महाशय,

उपरोक्त योजना लघु सिंचाई प्रमंडल बांका के द्वारा संचालित की जा रही है जिसकी प्राकलित राशि 9213493/- रुपये मात्र हैं, जिसका संवेदक अक्षयवट कुमार सिन्हा हैं। कार्य का शिलान्यास अक्टूबर 2019 में ही हुआ था लेकिन कार्य प्रारंभ होने में सात माह का विलंब हुआ और 24 मई 2020 को कार्य प्रारंभ हुआ हैं। प्रारम्भ से ही कार्य संपादन में कई अनियमितता देखने को मिल रही है जिनकी ओर हमलोग महाशय का ध्यान आकृष्ठ करना चाहते हैं और उचित कार्यवाई की आकांक्षा रखते हैं।

1. कार्यस्थल पर न ही सरकार के तरफ़ से कोई अभियंता कार्य की निगरानी के लिये उपस्थित रहते हैं और न ही संवेदक के द्वारा किसी निजी अभियंता को तैनात किया गया है। संवेदक भी कार्यस्तल पर नहीं आते हैं।
2. संवेदक के मुंसियों द्वारा ग्रामीणों को स्टीमेट का दस्तावेज भी नही उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीणों द्वारा कार्य की निगरानी पर संवेदक के मुंसियों द्वारा डराया भी जाता है कि पैसे मांगने व रंगदारी करने के आरोप में जेल भिजवा देंगे।
3. संवेदक के द्वारा कार्यस्थल पर लगाये बोर्ड में योजना संख्या अंकित नही किया गया है।
4. अंचलाधिकारी द्वारा चिन्हित भूभाग पर असामाजिक तत्वों द्वारा सीमांकन में गतिरोध पैदा किया जा रहा है जिससे सरकारी जमीन को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा सका है।
5. अभी तक सिर्फ़ 2 सप्ताह काम हुआ है जिसमे सिर्फ़ ऊपर-ऊपर मिट्टी का समतलीकरण किया गया है, मिट्टी हटाने के लिए अभी तक एक भी ट्रेक्टर का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि हकीकत में मिट्टी की खुदाई हुई ही नही है, और पगडंडी, जल निकास द्वार, नहर, नाले इत्यादि कुछ नहीं बने है लेकिन ठेकेदार के मुंसियों का कहना है कि कार्य अब समाप्ति के कगार पर है।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उक्त विषय का संज्ञान लेने की कृपा की जाय जिससे तालाब के लिये सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके व संवेदक द्वारा किये जा रहे सरकारी योजना के धन की लूट को बचाया जा सके।

प्रतिलिपि:

1. भू एवं राजस्व मंत्री, बिहार सरकार
2. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल , बांका
3. सांसद, बांका लोक सभा क्षेत्र

अनुलग्नक एक प्रति ग्रामीणों का हस्ताक्षर

विस्वासभाजन

पथरा ग्रामवासी

1. प्रसन्न कुमार मंडल
मो०न० → 8789406588
2. [illegible]
मो०न० - 8877598197
3. Sunil Kr Mandal
4. सुधांशु शेखर
5. सीताराम [illegible]

Scanned with CamScanner

8/4

पवारा ग्रामवासी

6. Chandan Kumar
7. नितेश कुमार
8. पुरण कुमार
9. Sonu Kumar
10. [illegible]
11. उमेश मंडल
12. उपेन्द्र मंडल
(13) निर्मल यादव
(14) मनोज कुमार मंडल (पूर्व वार्ड)
(15) प्रमोद कुमार मंडल
(16) कुमार कुमार मंडल
(17) प्रवीण कुमार
(18) Murari Kumar
19. लाल मोहन मंडल
20. Kaushal Kumar
21. सुरेन्द्र मंडल
22. मनीषा मंडल
23. अजित प्रवें
24. [illegible] यादव
25. [illegible] कुमार
26. नीतेन कुमार
27. [illegible] मंडल
28. [illegible]
29. [illegible] प्रसाद मंडल
30. [illegible]
31. [illegible]
32. प्रह्लाद कुमार मंडल
33. गुलशन कुमार
34. नरेश मंडल
(35) Pankaj Kumar
(36) योगेन्द्र मंडल
(37) Raja Kumar
(38) अमन भारती
(39) फुलेश्वर [illegible]
40 पिन्टु यादव
41 शशिकान्त यादव
42 [illegible] कुमार
43 [illegible]
44 लक्ष्मण कुमार
45 नीरज कुमार
46 विनय कुमार मंडल
47 आशीष कुमार
48 Shubham Kumar
49 अमन कुमार
50 संगीत कुमार
51 कृष्ण देव मंडल
52 बजरंग कुमार
53 [illegible] मंडल
54 उदय कान्त मंडल
55 [illegible] मंडल (सेवानिवृत्त शिक्षक)
56 अशोक मंडल (पंच)
57 निर्मल मंडल
58 प्रमोद ठाकुर (पूर्व मुखिया-प्र.)
59 अनिरुद्ध [illegible]
60 [illegible]
61 [illegible] कुमार मंडल
62 R.K.P.M

Scanned with CamScanner

सेवा में

श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय, बांका

विषयः– ग्राम– पथरा, थाना– बाराहाट जिला बांका के पंनपिया पोखर, बांध का जल जीवन हरियाली के तहत लघु सिचांई प्रमंडल के द्वारा मिट्टि खुदायी में काफी अनियमितता एवं संवेदक द्वारा गांव के बांध पोखर के तीन मुंशी ग्रामीणोंको धमकी और गांव में राजनितिक करना तथा बांध और पोखर के जमीन बटन बैठा के वशंज द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने के सबंध में।

महाशय

स आग्रह निवेदन के साथ कहना है कि हम पथरा ग्रामिणों द्वारा कार्यपालक अभियंता लघु सिचांई प्रमंडल से पंनपिया पोखर , बांध का योजना संख्या प्रकरण राशि का इस्टीमेट मांग की गई और संवेदक द्वारा एकरारनामा लेकिन आवेदन देने पर सिर्फ प्रकरण राशि की छाया प्रति दी गई योजना संख्या और संवेदक द्वारा एकरारनामा की छाया प्रति नहीं दी गई।

पंनपिया पोखर (बांध) पर संवेदक अक्षयभट कुमार सिन्हा कभी भी आज तक नही आये और चेहरा भी किसी नही देखा संवेदक द्वारा नियुक्त तीन मुंशी श्रीजवाहर पूर्वे दो अन्य पथरा पोखर बांध पर रहता है और गांव में राजनिति कर अचंल पदाधिकारी बाराहाट द्वारा अतिक्रमित भूमि को मुक्त कर विभाग को एन० आ० सी० देने पर कार्य शुरू हुआ।

" लेकिन जवाहर पुर्वे के द्वारा बटन बैठा के वंशज को उकसा कर सिमांकन की गई भूमी पर मिटी नही देने दिया गया। "

इस संबंध में श्रीमान अंचलाधिकारी बाराहाट को ग्रामिणों द्वारा हस्ताक्षरीत आवेदन 29.05.2020 को कार्यलय में मिल कर दी गई दिनांक 03.05.2020 को बाराहाट थाना के ए० एस० आई श्री महेन्द्रराम पुलिस गाड़ी से दल बल के साथ घटना स्थल पे पहुँचे और आवेदन में लिखित सत्य पाया गया बटन बैठा के वंशज के सभी सदस्यों को थाना पर बुलाया और श्री महेन्द्रराम ने कहा कि अभि इस जमीन पर मेढ़ नही देना है बाराहाट अचंलाधिकारी इन सबों से बात करेगें । लेकिन नौ दिन बित जाने के बाद अंचलाधिकारी बाराहाट छुटे हुए

Scanned with CamScanner